

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :- 138/09 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

अवदान :- धावरसिंह बनाम महिपाल

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
6-9-19	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई । विद्वान वकील रेस्प0 श्री विनोद यादव ने जाहिर किया कि अधिनस्थ न्यायालय में मूल वाद खारिज हो चुका है. इसलिये यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है ।</p> <p>जवाब में विद्वान वकील अपीलांट ने इसका खंडन नहीं किया है ।</p> <p>चूंकि जब तहत न्यायालय में मूल वाद ही निर्णित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश की यह अपील इन्फैक्चस (प्रभावहीन) हो चुकी है ।</p> <p>अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है ।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।</p> <p>भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>